न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : बी.एम. शर्मा,

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2602/2018/सतना/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 13-04-2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 443/अपील/2017-18

रामगोपाल मिश्रा पुत्र श्री हीरालाल मिश्रा
निवासी – ग्राम पड़रिया तहसील रामनगर जिला सतना
हाल निवास – दूरभाष केन्द्र के सामने मैहर रोड अमरपाटन
तहसील अमरपाटन जिला सतना म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. लोकनाथ पटेल तनय भोला प्रसाद पटेल
   निवासी -- ग्राम पड़रिया तहसील रामनगर जिला सतना
   हाल निवास – कटियाखुर्द पोस्ट दुबेही तहसील मैहर जिला सतना म.प्र.
2. सत्तू उर्फ शत्रुघ्न गुप्ता तनय स्वामीदीन गुप्ता
   निवासी – थाना के सामने रामनगर
   पोस्ट व तहसील रामनगर जिला सतना म.प्र.

.....अनावेदकगण

श्री श्रवण पाण्डेय, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुनेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25.5.19 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 13-04-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसे बाणनगर परियोजना द्वारा विस्थापित होने की वजह से पुर्नवास हेतु प्लाट नं. 52 नाप 50 बाई 90 फिट बराबर 4500 वर्गफिट भूमि स्थित मौजा न्यू रामनगर को आवंटित कर पट्टा प्रदान किया गया था । उक्त प्लाट पर अनावेदक द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है अत: अनावेदक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर पुलिस बल के साथ निर्माण कार्य प्रारंभ कराने में सहयोग प्रदान करें जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने स्थल निरीक्षण करते हुए दिनांक 15-09-14 को अपीलार्थी क्रमांक-2 को प्लाट नम्बर 52 का कब्जा अवैध मानते हुए दिनांक 17-09-14 के अन्दर स्वत: कब्जा हटाए जाने का आदेश दिया और यदि कब्जा नहीं हटाया जाता तो 18-09-14 को पुलिस बल के माध्यम से कब्जा हटाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जाये । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूदध् अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर सतना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जहां पर अपील को निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा गया । अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13-04-2018 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अपील मुख्य रूप से निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्लाट क्रमांक 52 जिसके संबंध में पट्टा जारी करने वाले अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी के द्वारा स्पष्ट रूप से लिखित रूप में माननीय कमिश्नर महोदय रीवा संभाव रीवा को पत्र क्रमांक 515 दिनांक 08/09/2014 को माना गया कि पट्टेदार निगराकार है तथा जिसकी पुष्टि अपील न्यायालय से पूर्व मे हो चुकी है जिसकी अपील आज तक कही नही हुयी तथा जिसकी पुष्टि अनुविभागीय दण्डाधिकारी अमरपाटन के प्रकरण क्र. 04/2006 में एवं माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय

सतना तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा पुष्टि की जा चुकी है व भू-अर्जन अधिकारी के पत्र क्रमांक 448 दिनांक 20/08/2014 आयुक्त भू-अर्जन के पत्र क्रमांक 1519 दिनांक 28/08/2014 से भी स्पष्ट प्रमाणित है कि प्लाट क्रमांक 52 के पट्टेदार निगराकार है उनके अलावा अन्य कोई नही जिस पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय को विवेचना करनेव उस पर टिप्पणी करने का कोई क्षेत्राधिकार नही है जबकि गैरनिगराकार क्र. 1 लोकनाथ को पूर्व में प्लाट क्र.206 का पट्टा जारी किया गया था लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर न करके विवादित आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है।

प्लाट क्रमांक 38 के संबंध में जो लेख किया गया है उसके पट्टेदार मोहनलाल तनय हीरालाल मिश्रा है निगराकार को मात्र प्लाट क्रमांक 52 आवांटित है इसके अलावा अन्य कोई प्लाट आवांटित नही है जैसा कि प्लाटो के आवांटन की सूची पेश की गयी थी उसमें भी प्लाट क्रमांक 52 में निगराकार को वयस्क अनुदान सूची क्रं. 05 दिनांक 02/12/2006 को पट्टा आवाटित किया जाना लेख है उस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। जबकि लोकनाथ को न तो वयस्क के आधार पर और नाही एवार्ड धारी के आधार पर पट्टा प्राप्त करने का अधिकार है क्योकि न तो उसके पिता के नाम और ना ही उसके स्वयं के नाम कोई भूमि, भवन था जिससे वह पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी भी है जिसकी शिकायत निगराकार द्वारा माननीय कमिश्नर महोदय, प्रशासक महोदय, अनुविभागीय अधिकारी को की गयी है जिसका अभी तक कोई निर्णय नही किया गया ऐसी स्थिति में लोकनाथ पटेल को पट्टा प्राप्त करने को कोई वैधानिक अधिकार नही है फिर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काट कूट किये जाने का जो उल्लेख किया गया है उसमें प्रकरण में संलग्न दस्तावेज दिनांक 02/12/2006 की आदेश पत्रिका में प्रशासक के आदेश से पट्टा दिया गया था एवं दिनांक 23/03/2007 को निगराकार द्वारा की गयी अपील में बनायी गयी तीन सदस्यीय जॉच कमेटी के निर्णय के आधार पर पत्र क्रमांक 105 दिनांक 23/03/2007 को आदेश जारी किया गया कि दिनांक 02/12/2006 को जारी पट्टा यथावत् माना जायेगा। जिसके आधार पर दिनांक 25/03/2007 को उपयंत्री एवं दिनांक

25/07/2007 को कार्यपालन यंत्री के आदेश दिनांक 16/07/2007 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा निगराकार को मौके से कब्जा सौपा गया था । लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर न कर महान कानूनी भूल की है।

गैर निगराकार क्रमांक 1 की जानकारी में उसे कभी प्लाट क्रमांक 52 आवंटित ही नही किया गया और ना ही मौके से कब्जा प्राप्त किया बल्कि गैरनिगराकार क्र. 2 जो अतिक्रामक व आक्रामक है वही बगल से तीन और प्लाटों में कब्जा किये हुये है व भू माफिया की श्रेणी में आता है के द्वारा जबरन प्लाट को हडपने के नियत में है जिस पर प्रत्येक न्यायालयों की टिप्पणियॉ संलग्न है फिर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने में भूल की गयी है यहॉ तक कि दिनांक 20/11/2004 व 20/01/2007 को जो कब्जा के बारे में विवेचना की गयी है वह कार्यपालन यंत्री के आदेश से दिनांक 04/06/2007 के आदेशनुसार अनुविभागीय अधिकारी बाणसागर के द्वारा 25/07/2007 को मौके से कब्जा सौपा गया लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बात पर कोई गौर नही किया गया तथा संपूर्ण न्यायालयों के आदेश व कार्यालयो के पत्र प्रकरण में संलग्न थे उन पर भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यहॉ तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी करते हुये आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है।

योग्य अधीनस्थ न्यायालय को नये संसोधित भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने को कोई क्षेत्राधिकार नही है फिर भी प्रकरण प्रत्यावर्तित कर तहसीलदार रामनगर को जॉच करने व आदेश पारित करने का आदेश देकर महान् कानूनी भूल की है क्योकि जिस आदेश को तहसीलदार रामनगर के उच्चाधिकारियों के द्वारा पर्याप्त विवेचना व आदेश पारित किये गये है यहॉ तक की माननीय एस. डी. एम. अमरपाटन, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय सतना व माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशों की तहसीलदार द्वारा किस आधार पर विवेचना की जायेगी यह एक अत्याधिक विचारणीय प्रश्न है तथा तहसीलदार के बड़े अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी प्रशासक, कमिश्नर बाण सागर

एवं कमिश्नर महोदय रीवा संभाग रीवा के आदेशो की विवेचना तहसीलदार को सौप कर कानून का माखौल उड़ाने के अलावा अन्य कुछ भी नही है।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य विवाद प्लॉट नं. 52 के आवंटन और उस पर कब्जे को लेकर है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में आवेदक को जारी पट्टा दिनांक 02.12.2006 तथा अनावेदक क्र. 1 को जारी पट्टा दिनांक 24.07.2012 दोनों ही रिकॉर्ड पर हैं। ऐसी परिस्थिति में विस्तृत जांच का विषय यह है कि प्लॉट नं. 52 का आवंटन भू-अर्जन अधिकारी वाणसागर परियोजना रीवा द्वारा किसे किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक क्र. 1 जिसे दिनांक 24.07.2012 को पट्टा जारी होना अभिलेख पर है। उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में यह भी स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने उक्त आदेश किन प्रावधानों के अंतर्गत पारित किया है। मैं अपर आयुक्त के आदेश के इस निष्कर्ष से सहमत हूँ कि किसी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की शक्ति भू-राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत तहसीलदार को है तथा अनुविभागीय अधिकारी अपीलीय अधिकारी है। किंतु इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने मूल न्यायालय की भांति आदेश पारित करने में त्रुटि की है। प्रकरण में मूल विवाद आवेदकगण एवं अनावेदक क्र. 1 के मध्य है तथा अनुविभागीय अधिकारी के मूल प्रकरण में अनावेदक क्र. 1 को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। इसलिए उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर भी नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य न होने से निगरानी आवेदन निरस्त किया जाता है ।

(बी.एम.-शर्मा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर